Norms for working out tariff for SEBs

1122. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether some of the State Electricity Boards like the Rajasthan State Electricity Board have asserted that the norms for working out the tariff for the sale of energy by the National Thermal Power Corporation are clearly weighed against them; and

(b) if so, what is Government's reaction to such a resentment by the State Electricity Boards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) The difference of opinion between the National Thermal Power Corporation (NTPC) and the State Electricity Boards (including Rajasthan State Electricity Board) relaing to principles and normative parameters for working out tariff for sale of power from generating stations of NTPC had resulted in non-revision of tariff over a period of time. After numerous consultations with the State Electricity Boards Government of India decided to introduce with effect from 1st April, 1991, a station-wise two-part tariff for sale of power to the States in the interests of merit order operations and marginal price based on marginal cost of generation taking into account the recommendations of the K. P. Rao Committee (June, 1990) which was set up to formulate the principles and normative tariff for sale of power from Central Power Generating Stations.

संजय गांधी वोरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन

1123. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान संजय गांधी वोरसिंह पुर ताप विद्युत परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) इस परियोजना के समय पर पूरा नहीं हो पाने के क्या कारण थे और क्या उन अवरोधों को दूर कर दिया गया है; और

(ग) यहां पर उत्पादन कब तक प्रारंभ हो जाएगा और इस ताप विद्युत केन्द्र से कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होगा?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) संजय गांधी बीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना (2× 210 मे.वा.) चरण-1 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 723 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय में से अब तक परियोजना पर लगभग 390 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसमें चालू वर्ष (1991-92) के दौरान 102.44 करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के सन्दर्भ में खर्च किए गए 81 करोड़ रुपये शामिल हैं। यूनिट-1 से सम्बन्धित 70% बायलर उत्थापन एवं 42% टर्बाइन उत्थापन कार्य और यूनिट-2 से सम्बन्धित 50% बॉयलर उत्थापन एवं 10% टर्बाइन उत्थापन कार्य पूरे हो गये हैं। 1990-91 के दौरान यूनिट-1 के सम्बंध में बायलर हाइड्रोलिक परीक्षण एवं टर्बो जनरेटर उत्थापन कार्य तथा यूनिट 1 एवं 2 के सम्बन्ध में संधारित्र उत्थापन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान बायलर प्रदीपन सम्बन्धी कार्य किए जाने का कार्यक्रम है।

परियोजना के चरण-1 के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारणों में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के पास उपस्कर की सप्लाई हेतु भुगतान किए जाने के लिए निधियों की कमी होना है। जिसके परिणामस्वरूप उपस्कर सप्लाईकर्ताओं द्वारा बायलर एवं टर्बाइन सामग्री की सप्लाई में विलम्ब हुआ है। उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन

आदेश जारी किए जाने के कारण राख नियंत्रण प्रणाली का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मुख्य उपस्कर सप्लाई-कर्ताओं और परियोजना प्राधिकारियों सहित सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श से परियोजना के निर्माण कार्यों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और जहां सम्भव होता है, परियोजना हेतु निवेशों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। 210 मे०वा० के प्रथम यूनिट को 1992-93 में तथा दूसरे यूनिट को 1993-94 में चालू किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस विद्युत केन्द्र के इसके चालू होने पर 420 मे वा० को प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी।

बोधघाट जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया जाना

1124. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 27 मार्च, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2867 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोधघाट जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 209.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4×125 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली बोधघाट जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति 16.11.78 को तथा योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी स्वीकृति 24.2.79 को दी गई थी। परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनवरी, 1979 में और पुनः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1985 में दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राज्य सरकार से उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद वन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी।

उप बिजलीघरों को वित्त प्रदान करने की योजना

1125. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से 132 किलोवाट के उप बिजलीघरों को वित्त प्रदान किये जाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए दिशानिर्देश क्या हैं और उन उप बिजली घरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसको कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) 132 के०वी० उप-केन्द्रों का वित्त-पोषण ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा विद्युत वित्त निगम दोनों ही द्वारा किया जाता है। मार्च, 1990 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे 132 के०वी० उप-केन्द्र जो कि मुख्यतः